

लोकतंत्र का पतन कानूनी और संस्थागत तंत्र के माध्यम से लोकतांत्रिक मूल्यों में आती गिरावट

डॉ० देवी प्रसाद श्रीवास्तव

राजनीति विज्ञान विभाग

ईमेल: sriva1582@gmail.com

सारांश

लोकतंत्र का पतन समकालीन राजनीति विज्ञान की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। इसका आशय केवल सैन्य तख्तापलट अथवा चुनावों के पूर्ण उन्मूलन से नहीं, बल्कि निर्वाचित सरकारों द्वारा कानूनों, संवैधानिक संशोधनों, प्रशासनिक निर्णयों तथा संस्थागत पुनर्संरचना के माध्यम से लोकतंत्र को सहारा देने वाली व्यवस्थाओं के क्रमिक क्षरण से है। इस शोध-पत्र का उद्देश्य लोकतांत्रिक पतन के वैचारिक आधार, प्रमुख कानूनी एवं संस्थागत तंत्र, उनके प्रभाव तथा प्रतिरोधी उपायों का विश्लेषण करना है। अध्ययन गुणात्मक, वर्णनात्मक एवं तुलनात्मक पद्धति पर आधारित है और अकादमिक शोध, लोकतंत्र संबंधी रिपोर्टें तथा संवैधानिक दस्तावेजों जैसे द्वितीयक स्रोतों का उपयोग करता है। अध्ययन में कार्यपालिका का अतिविस्तार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर दबाव, निर्वाचन प्रबंधन की निष्पक्षता पर प्रश्न, विधायिका की निगरानी क्षमता में कमी, मीडिया तथा नागरिक समाज पर प्रतिबंध और कानून के चयनात्मक प्रवर्तन को लोकतांत्रिक क्षरण के प्रमुख मार्गों के रूप में देखा गया है। निष्कर्षतः लोकतांत्रिक संस्थाओं का औपचारिक अस्तित्व पर्याप्त नहीं; उनकी स्वायत्तता, पारदर्शिता, अधिकारों का संरक्षण और वास्तविक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा भी आवश्यक हैं।

मुख्य शब्द

लोकतंत्र, लोकतांत्रिक पतन, कार्यपालिका का अतिविस्तार, संवैधानिकता, संस्थागत स्वायत्तता, विधि का शासन।

Reference to this paper
should be made as follows:

Received: 15.09.2026

Approved: 23.09.2026

डॉ० देवी प्रसाद श्रीवास्तव

लोकतंत्र का पतन कानूनी और
संस्थागत तंत्र के माध्यम से
लोकतांत्रिक मूल्यों में आती
गिरावट

RJPP April 26-Sept.26,
Vol. XXIV, No. II,
Article No. 40
Pg. 374-381

Online available at:

[https://anubooks.com/
journal-volume/rjpp-vol-
xxiv-no2-sept-2026](https://anubooks.com/journal-volume/rjpp-vol-xxiv-no2-sept-2026)

[https://doi.org/10.31995/
rjpp.2026.v24i02.040](https://doi.org/10.31995/rjpp.2026.v24i02.040)

*This article has been peer-reviewed by the Review Committee of RJPP.

प्रस्तावना

लोकतंत्र को ऐसी शासन-व्यवस्था माना जाता है जिसमें जनता स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों के माध्यम से प्रतिनिधियों का चयन करती है और शासन की वैधता जन-सहमति पर आधारित होती है। किंतु आधुनिक लोकतंत्र केवल चुनाव कराने तक सीमित नहीं है। इसमें नागरिक स्वतंत्रताएँ, कानून के समक्ष समानता, स्वतंत्र न्यायपालिका, जवाबदेह कार्यपालिका, प्रभावी विधायिका, स्वतंत्र मीडिया और सक्रिय नागरिक समाज भी सम्मिलित हैं। यदि चुनाव नियमित हों, परंतु विपक्ष असमान परिस्थितियों का सामना करे, आलोचनात्मक आवाजों पर दबाव हो और संस्थाएँ कार्यपालिका के प्रभाव में आ जाएँ, तो लोकतंत्र का वास्तविक स्वरूप कमजोर हो सकता है। इसी प्रक्रिया को लोकतांत्रिक पतन कहा जाता है।

नैसी बर्मियो (2016) के अनुसार लोकतांत्रिक पतन मौजूदा लोकतंत्र को सहारा देने वाली राजनीतिक संस्थाओं का राज्य-प्रेरित क्षरण अथवा उन्मूलन है। समकालीन दौर में स्पष्ट सैन्य तख्तापलट की तुलना में कार्यपालिका का क्रमिक सशक्तीकरण और राजनीतिक चुनावी हेरफेर अधिक प्रासंगिक हो गए हैं। लोकतांत्रिक पतन की चुनौती यह है कि इसे कई बार वैधानिक भाषा, संसदीय बहुमत, राष्ट्रीय सुरक्षा या प्रशासनिक दक्षता के नाम पर प्रस्तुत किया जाता है। किसी कानून का विधिवत पारित होना अपने-आप में उसकी लोकतांत्रिक गुणवत्ता का प्रमाण नहीं है।

1. अध्ययन की पृष्ठभूमि: शीत युद्ध के बाद अनेक देशों में चुनावी लोकतंत्र का विस्तार हुआ, पर संस्थागत गुणवत्ता समान गति से विकसित नहीं हुई। कुछ देशों में निर्वाचित नेतृत्व ने सत्ता में बने रहने के लिए संवैधानिक नियमों, नियुक्ति प्रक्रियाओं, निर्वाचन प्रशासन और मीडिया-परिस्थिति को अपने अनुकूल बनाने का प्रयास किया। इसलिए लोकतांत्रिक पतन अक्सर अचानक घटना के बजाय संचयी प्रक्रिया है।

2. समस्या का कथन: केंद्रीय समस्या यह है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को औपचारिक रूप से समाप्त किए बिना उनके कार्य, स्वतंत्रता और प्रभावशीलता को किस प्रकार कम किया जा सकता है? साथ ही, सामान्य शासन-सुधार और लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व के क्षरण के बीच सीमा कैसे पहचानी जाए?

अध्ययन के उद्देश्य एवं शोध प्रश्न

अध्ययन के उद्देश्य हैं: (क) लोकतांत्रिक पतन की अवधारणा और सैद्धांतिक दृष्टिकोणों की व्याख्या; (ख) कानूनी एवं संस्थागत माध्यमों की पहचान; (ग) भारत तथा तुलनात्मक उदाहरणों के संदर्भ में विमर्श; और (घ) लोकतांत्रिक संस्थाओं की सुरक्षा के उपाय प्रस्तुत करना।

प्रमुख शोध प्रश्न हैं: लोकतांत्रिक पतन और सामान्य राजनीतिक परिवर्तन में क्या अंतर है? कानून तथा संवैधानिक संशोधन लोकतांत्रिक संस्थाओं को कैसे कमजोर कर सकते हैं? न्यायपालिका, निर्वाचन आयोग, विधायिका, मीडिया और नागरिक समाज की भूमिका क्या है? लोकतांत्रिक लचीलापन बढ़ाने के लिए कौन-से संस्थागत उपाय उपयोगी हैं?

परिकल्पना: जहाँ कार्यपालिका पर संस्थागत नियंत्रण कमजोर, नियुक्ति एवं नियामक प्रक्रियाएँ कम पारदर्शी और नागरिक स्वतंत्रताओं का संरक्षण असमान होता है, वहाँ लोकतांत्रिक पतन

का जोखिम बढ़ सकता है। यह विश्लेषणात्मक परिकल्पना है, किसी देश के संबंध में स्वतः सिद्ध निष्कर्ष नहीं।

साहित्य समीक्षा

Bermeo (2016) ने लोकतांत्रिक पतन के बदलते रूपों में कार्यपालिका का अतिविस्तार और रणनीतिक चुनावी हेरफेर को रेखांकित किया। Lust और Waldner (2015) ने सत्ता के संकेंद्रण तथा असमान राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के माध्यम से लोकतांत्रिक संस्थाओं के क्षरण पर चर्चा की। Blauburger और Kelemen (2017) ने यूरोपीय संघ में न्यायिक सुरक्षा उपायों की उपयोगिता और सीमाओं का विश्लेषण किया तथा बताया कि न्यायालय अकेले लोकतांत्रिक पतन रोकने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

V-Dem लोकतंत्र को चुनावी, उदारवादी, सहभागी, विचार-विमर्शात्मक और समतामूलक आयामों में मापता है। यह बहुआयामी दृष्टिकोण बताता है कि चुनावों की उपस्थिति मात्र से लोकतंत्र की संपूर्ण गुणवत्ता नहीं जानी जा सकती। Freedom House और International IDEA जैसे संस्थानों की रिपोर्टें तुलनात्मक संदर्भ देती हैं, किंतु उनके निष्कर्षों को उनकी पद्धति और सीमाओं के साथ पढ़ना आवश्यक है। साहित्य में संस्थागत नियमों, वैधानिक प्रक्रियाओं और लोकतांत्रिक प्रभावों के संयुक्त अध्ययन की आवश्यकता बनी हुई है।

सैद्धांतिक एवं अवधारणात्मक ढाँचा

लोकतंत्र में जन-प्रतिनिधित्व, राजनीतिक समानता, स्वतंत्र चुनाव, अभिव्यक्ति एवं संगठन की स्वतंत्रता और सत्ता पर सार्वजनिक नियंत्रण सम्मिलित हैं। उदार लोकतंत्र में बहुमत के शासन के साथ अल्पसंख्यक अधिकारों तथा संवैधानिक सीमाओं की रक्षा भी आवश्यक है। लोकतंत्रीकरण लोकतांत्रिक भागीदारी के विस्तार की प्रक्रिया है, जबकि लोकतांत्रिक पतन मौजूदा मानकों में गिरावट है। तख्तापलट प्रायः अचानक और असंवैधानिक सत्ता-हस्तांतरण होता है; बैकस्लाइडिंग संस्थाओं के भीतर से क्रमिक रूप में भी आगे बढ़ सकती है।

कार्यपालिका का अतिविस्तार तब होता है जब निर्वाचित नेतृत्व अपने अधिकारों का प्रयोग इस प्रकार करे कि विधायिका, न्यायपालिका या स्वतंत्र आयोगों की वास्तविक क्षमता घट जाए। प्रत्येक कार्यकारी निर्णय अतिविस्तार नहीं है; अवधि, प्रभाव, अनुपातिकता, पारदर्शिता और नियंत्रण की उपलब्धता देखना आवश्यक है। वैधानिकता का अर्थ कानून के अनुसार निर्णय है, जबकि संवैधानिक लोकतंत्र यह भी पूछता है कि कानून मौलिक अधिकारों, शक्ति-विभाजन और राजनीतिक बहुलता के अनुरूप है या नहीं।

विश्लेषणात्मक रूप से प्रक्रिया में नियमों या नियुक्तियों में परिवर्तन, स्वतंत्र निगरानी की क्षमता में कमी, विपक्ष और नागरिक समाज के लिए असमान अवसर तथा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा की गुणवत्ता में गिरावट शामिल हो सकती है। यह मॉडल संभावित प्रक्रिया समझाने का उपकरण है, अनिवार्य क्रम नहीं।

शोध-पद्धति

यह अध्ययन गुणात्मक, वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक और तुलनात्मक प्रकृति का है। इसमें अकादमिक शोध-पत्रों, लोकतंत्र संबंधी रिपोर्टों, संवैधानिक एवं वैधानिक दस्तावेजों और सार्वजनिक

संस्थागत रिपोर्टों का उपयोग किया गया है। विप्लेशन की इकाइयों कार्यपालिका-विधायिका संबंध, न्यायिक स्वतंत्रता, निर्वाचन प्रशासन, नागरिक स्वतंत्रताएँ, मीडिया और नागरिक समाज हैं।

अध्ययन की सीमाएँ यह हैं कि लोकतंत्र सूचकांकों में विप्लेशन-आधारित आकलन और अलग-अलग परिभाषाएँ शामिल होती हैं। अतः उन्हें अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता। देश-विदेश के निष्कर्षों में समयावधि, राजनीतिक संदर्भ और स्रोत की पद्धति स्पष्ट होनी चाहिए। यह अध्ययन प्राथमिक सर्वेक्षण या सांख्यिकीय कारणात्मक परीक्षण प्रस्तुत नहीं करता।

कानूनी माध्यमों से लोकतांत्रिक क्षरण

1. संवैधानिक संशोधन: संविधान संशोधन लोकतांत्रिक शासन का वैध उपकरण है। किंतु जब संशोधन कार्यकाल-सीमा हटाने, न्यायिक समीक्षा सीमित करने, निर्वाचन नियमों को सत्तारूढ़ दल के अनुकूल बनाने या स्वतंत्र निकायों की स्वायत्तता घटाने के लिए प्रयुक्त हों, तब उनके प्रभाव का परीक्षण आवश्यक है। प्रक्रिया, सार्वजनिक विमर्श, सहमति और अधिकारों पर प्रभाव महत्वपूर्ण कसौटियाँ हैं।

2. साधारण कानून: राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए कानून बनाना राज्य का वैध कार्य है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब परिभाषाएँ अत्यधिक व्यापक हों, विवेकाधिकार पर नियंत्रण न हो, स्वतंत्र समीक्षा उपलब्ध न हो या शांतिपूर्ण असहमति असंगत रूप से प्रभावित हो।

3. अध्यादेश और त्वरित विधायी प्रक्रिया: विशेष परिस्थितियों में त्वरित कानून-निर्माण उपयोगी हो सकता है, लेकिन बार-बार उपयोग, सीमित संसदीय बहस, समिति-जाँच का अभाव और सार्वजनिक परामर्श की कमी विधायी जवाबदेही को घटा सकती है।

4. चयनात्मक प्रवर्तन: कानून का शासन समान परिस्थितियों में समान अनुप्रयोग पर निर्भर करता है। यदि जाँच, अभियोजन, कर-प्रशासन या नियामक कार्रवाई राजनीतिक संबद्धता के आधार पर अलग-अलग अनुभव की जाए, तो निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है। चयनात्मकता का निष्कर्ष तुलनात्मक प्रमाण और न्यायिक रिकॉर्ड के आधार पर ही निकाला जाना चाहिए।

5. प्रशासनिक नियम: नियुक्ति, बजट, स्थानांतरण, कार्यकाल और अनुशासन संबंधी नियम संस्थाओं की स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं। औपचारिक स्वतंत्रता के बावजूद यदि नेतृत्व चयन पर एक पक्ष का निर्णायक नियंत्रण हो या वित्तीय निर्भरता अधिक हो, तो व्यवहारगत स्वायत्तता कम हो सकती है।

प्रमुख संस्थाओं पर प्रभाव

1. न्यायपालिका: स्वतंत्र न्यायपालिका संविधान, मौलिक अधिकारों और सत्ता-विभाजन की रक्षा करती है। नियुक्ति-प्रक्रिया पर अनुचित प्रभाव, न्यायाधीशों पर दबाव, अधिकार-क्षेत्र सीमित करना या आदेशों के अनुपालन में चयनात्मकता न्यायिक स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकती है। साथ ही न्यायिक पारदर्शिता, नैतिकता और जवाबदेही भी आवश्यक हैं। लंबित मामले, महँगी प्रक्रिया और कानूनी सहायता का अभाव अधिकारों तक वास्तविक पहुँच को कम करते हैं।

2. विधायिका: विधायिका कानून बनाने, बजट पारित करने और कार्यपालिका से प्रश्न करने का दायित्व निभाती है। यदि बहुमत के आधार पर बहस सीमित हो, विपक्ष को समितियों में पर्याप्त

भूमिका न मिले या प्रश्नकाल कमजोर हो, तो निगरानी क्षमता घट सकती है। समिति प्रणाली, विपक्ष के अधिकार और स्वतंत्र शोध-सहायता आवश्यक हैं।

3. निर्वाचन संस्थाएँ: स्वतंत्र निर्वाचन प्रशासन निष्पक्ष चुनावों की आधारशिला है। नियुक्ति प्रक्रिया, वित्तीय स्वतंत्रता, आचार-संहिता का समान प्रवर्तन, मतदाता सूची की पारदर्शिता और शिकायतों का समयबद्ध निपटारा महत्वपूर्ण हैं। निष्पक्षता मतदान-दिवस तक सीमित नहीं, बल्कि चुनाव-पूर्व अवसरों की समानता से भी जुड़ी है।

4. मीडिया: स्वतंत्र मीडिया सरकार और नागरिकों के बीच सूचना का पुल है। स्वामित्व का संकेंद्रण, सरकारी विज्ञापन पर निर्भरता, पत्रकारों पर मुकदमे, इंटरनेट प्रतिबंध और सूचना तक असमान पहुँच निगरानी भूमिका को प्रभावित कर सकते हैं। गलत सूचना का नियमन भी आवश्यक है, पर उसमें स्पष्टता, अनुपातिकता और स्वतंत्र अपील होनी चाहिए।

5. नागरिक समाज: संगठन, मानवाधिकार समूह, छात्र संगठन, ट्रेड यूनियन और शांतिपूर्ण आंदोलन नागरिकों को सामूहिक आवाज देते हैं। पंजीकरण, वित्तपोषण और सभा-अनुमति के नियम वैध हो सकते हैं, लेकिन अस्पष्ट या असमान प्रवर्तन संगठन एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकता है।

सामाजिक-राजनीतिक कारक

राजनीतिक ध्रुवीकरण विरोधी दलों को वैध प्रतिस्पर्धी के बजाय शत्रु के रूप में देखने की प्रवृत्ति बढ़ा सकता है। बहुमतवाद यदि संवैधानिक सीमाओं और अल्पसंख्यक अधिकारों को गौण करे तो बहुलतावादी आधार कमजोर होता है। बहुमत का शासन अस्थायी और जवाबदेह है, स्थायी संस्थागत नियंत्रण का अधिकार नहीं।

राजनीतिक दलों में उम्मीदवार चयन, नेतृत्व परिवर्तन और वित्तीय पारदर्शिता की कमी सत्ता-संकेंद्रण को बढ़ा सकती है। चुनावी वित्त की अपारदर्शिता राजनीतिक प्रभाव के असमान वितरण को जन्म देती है। डिजिटल तकनीक संवाद का विस्तार करती है, पर व्यापक निगरानी, निजी डेटा का अनियंत्रित उपयोग, एल्गोरिदमिक अपारदर्शिता और दुष्प्रचार नई चुनौतियाँ पैदा करते हैं। निजता, अभिव्यक्ति और वैध सुरक्षा आवश्यकताओं के बीच अधिकार-आधारित संतुलन जरूरी है।

तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य

हंगरी पर तुलनात्मक साहित्य संवैधानिक पुनर्गठन, न्यायपालिका और मीडिया के संस्थागत वातावरण तथा सत्ता के केंद्रीकरण पर चर्चा करता है। तुर्किये के संदर्भ में कार्यपालिका के सशक्तीकरण, संवैधानिक परिवर्तन और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के असमान होने का विश्लेषण किया गया है। पोलैंड में न्यायिक स्वतंत्रता तथा यूरोपीय संघ की संस्थागत प्रतिक्रिया पर व्यापक अकादमिक विमर्श हुआ है।

इन उदाहरणों से यह समझ आता है कि लोकतांत्रिक क्षरण प्रायः क्रमिक होता है, एक संस्था में परिवर्तन अन्य संस्थाओं पर प्रभाव डाल सकता है और पुनर्बहाली के लिए न्यायिक हस्तक्षेप के साथ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, सार्वजनिक भागीदारी तथा संस्थागत सुधार आवश्यक हैं। तुलनात्मक अध्ययन करते समय राष्ट्रीय इतिहास, संविधान और समयावधि के अंतर को ध्यान में रखना चाहिए।

भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में विमर्श

भारत का संविधान संसदीय शासन, मौलिक अधिकारों, संघवाद, न्यायिक समीक्षा और स्वतंत्र निर्वाचन व्यवस्था की रूपरेखा प्रदान करता है। प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श हैं। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 19 विभिन्न स्वतंत्रताओं, अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों से संबंधित है।

भारत में नियमित आम और राज्य चुनाव राजनीतिक जवाबदेही के प्रमुख माध्यम हैं। साथ ही निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता, चुनावी वित्त की पारदर्शिता, आचार-संहिता का समान अनुपालन और शिकायतों का निपटारा लोकतांत्रिक गुणवत्ता के लिए महत्वपूर्ण हैं। Freedom House की 2025 रिपोर्ट ने आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया और आचार-संहिता के प्रवर्तन को लेकर प्रश्न दर्ज किए हैं। ये उस संस्था के आकलन और आरोप हैं, स्वतंत्र न्यायिक निष्कर्ष के समान नहीं।

न्यायपालिका ने मौलिक अधिकारों और संवैधानिक सीमाओं की व्याख्या की है। न्यायिक लंबित मामलों, न्याय तक असमान पहुँच, नियुक्ति प्रक्रिया पर बहस और आदेशों के क्रियान्वयन जैसे प्रश्न भी सार्वजनिक विमर्श के विषय हैं। अभिव्यक्ति, पत्रकारिता, अकादमिक विमर्श और शांतिपूर्ण विरोध जवाबदेही के साधन हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के साथ नागरिक स्वतंत्रताओं का संतुलन स्पष्ट कानून, आवश्यकता, अनुपातिकता और स्वतंत्र समीक्षा से स्थापित किया जा सकता है। संघवाद, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों की स्वायत्तता लोकतांत्रिक भागीदारी को व्यापक बनाती है। भारत के मूल्यांकन में किसी एक सूचकांक या घटना के बजाय चुनावी प्रतिस्पर्धा, संस्थागत स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता और सामाजिक समानता को अलग-अलग परखना चाहिए।

लोकतांत्रिक पतन के परिणाम

संस्थागत निगरानी कमजोर होने पर निर्णय-निर्माण पर सार्वजनिक नियंत्रण घट सकता है और भ्रष्टाचार, हित-संघर्ष तथा अपारदर्शिता के जोखिम बढ़ सकते हैं। अधिकारों का संरक्षण यदि राजनीतिक पहचान या सामाजिक स्थिति के आधार पर असमान हो तो कानून के समक्ष समानता कमजोर होती है। विपक्ष और नागरिक संगठनों के लिए असमान अवसर राजनीतिक विकल्पों तथा मतदाताओं को उपलब्ध सूचना को प्रभावित कर सकते हैं।

संस्थागत निष्पक्षता पर लगातार प्रश्न सार्वजनिक विश्वास को कम कर सकते हैं। नीति-निर्माण में स्वतंत्र विशेषज्ञता, संसदीय बहस और नागरिक परामर्श त्रुटियों की पहचान करते हैं; इनके संकुचन से निर्णयों की समीक्षा और सुधार की क्षमता कम हो सकती है।

लोकतांत्रिक लचीलापन एवं सुधार

स्वतंत्र संस्थाओं में नियुक्ति के लिए बहुपक्षीय चयन समितियाँ, स्पष्ट योग्यता मानदंड, सार्वजनिक प्रक्रिया और हित-संघर्ष संबंधी नियम अपनाए जा सकते हैं। न्यायिक नियुक्तियों और प्रशासन में पारदर्शिता, पर्याप्त न्यायिक क्षमता, कानूनी सहायता और समयबद्ध सुनवाई न्याय तक पहुँच को मजबूत कर सकती है।

संसदीय समितियों को पर्याप्त समय, शोध-सहायता और दस्तावेजों तक पहुँच मिले। महत्वपूर्ण विधेयकों पर सार्वजनिक परामर्श और प्रभाव आकलन हो। चुनावी दान, प्रचार-व्यय और

सार्वजनिक संसाधनों के उपयोग के लिए प्रकटीकरण तथा स्वतंत्र लेखा-परीक्षा आवश्यक है। पत्रकारों की सुरक्षा, सार्वजनिक प्रसारण की स्वायत्तता, सूचना तक पहुँच और प्रतिबंधों के विरुद्ध अपील लोकतांत्रिक विमर्श को सुदृढ़ करते हैं।

नागरिक शिक्षा, सार्वजनिक सुनवाई, सामाजिक अंकक्षण और स्थानीय शासन में भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। स्थानीय निकायों को वित्तीय एवं प्रशासनिक क्षमता, नियमित चुनाव और स्पष्ट अधिकार दिए जाएँ। संघीय विवादों का संवैधानिक और संवादात्मक समाधान लोकतांत्रिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है।

निष्कर्ष

लोकतांत्रिक पतन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें संस्थाएँ हमेशा एक झटके में समाप्त नहीं होतीं। कई बार उन्हीं संस्थाओं के नियम, नियुक्तियाँ, अधिकार-क्षेत्र और संसाधन इस प्रकार बदले जाते हैं कि वे स्वतंत्र निगरानी तथा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के लिए कम प्रभावी रह जाएँ। इसलिए लोकतंत्र के अध्ययन में चुनावों के साथ संवैधानिक सीमाओं, नागरिक स्वतंत्रताओं, संस्थागत स्वायत्तता और जवाबदेही को केंद्रीय स्थान देना आवश्यक है।

वैधानिकता और लोकतांत्रिक वैधता संबंधित, किंतु समान अवधारणाएँ नहीं हैं। कानून संवैधानिक प्रक्रिया से बन सकता है, फिर भी उसका प्रभाव अधिकारों या संस्थागत संतुलन पर प्रतिकूल हो सकता है। संस्थाओं का औपचारिक अस्तित्व उनके स्वतंत्र संचालन की गारंटी नहीं देता। भारत के संदर्भ में बहुआयामी, स्रोत-आधारित और संतुलित मूल्यांकन आवश्यक है।

लोकतंत्र की रक्षा किसी एक संस्था या दल की जिम्मेदारी नहीं है। स्वतंत्र संस्थाएँ, जवाबदेह सरकार, सक्रिय विपक्ष, निष्पक्ष चुनाव, स्वतंत्र मीडिया, जागरूक नागरिक और संवैधानिक संस्कृति परस्पर पूरक हैं। लोकतांत्रिक लचीलापन तभी संभव है जब सत्ता परिवर्तन की वास्तविक संभावना बनी रहे और सत्ता पर कानून तथा संस्थागत नियंत्रण प्रभावी हों।

सुझाव

1. स्वतंत्र संवैधानिक संस्थाओं की नियुक्ति, बजट और कार्यकाल संबंधी सुरक्षा मजबूत की जाए।
2. विधेयकों पर पर्याप्त संसदीय बहस, समिति परीक्षण और सार्वजनिक परामर्श हो।
3. मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंधों में स्पष्टता, आवश्यकता, अनुपातिकता और न्यायिक समीक्षा सुनिश्चित हो।
4. चुनावी वित्त तथा राजनीतिक विज्ञापन के प्रकटीकरण और स्वतंत्र लेखा-परीक्षा की व्यवस्था सुदृढ़ हो।
5. मीडिया और नागरिक समाज के लिए पारदर्शी, समान तथा अपील-योग्य नियामक व्यवस्था हो।
6. लोकतंत्र के मूल्यांकन में आधिकारिक आँकड़ों, स्वतंत्र शोध और नागरिक अनुभवों का संयुक्त उपयोग हो।

परिशिष्ट: प्रमुख अवधारणाएँ

1. **लोकतांत्रिक पतन:** मौजूदा लोकतांत्रिक संस्थाओं और मानकों का क्रमिक क्षरण।

2. **कार्यपालिका का अतिविस्तार:** नियंत्रणकारी संस्थाओं की वास्तविक शक्ति घटाते हुए कार्यपालिका का अधिकार-विस्तार।
3. **विधि का शासन:** कानून की सर्वोच्चता, समान अनुप्रयोग और स्वतंत्र न्यायिक समीक्षा।
4. **संस्थागत स्वायत्तता:** बाहरी अनुचित हस्तक्षेप से मुक्त होकर वैधानिक कार्य करने की क्षमता।
5. **लोकतांत्रिक लचीलापन:** दबावों के बावजूद लोकतांत्रिक संस्थाओं और अधिकारों को बनाए रखने तथा पुनर्बहाली की क्षमता।

संदर्भ

1. Bermeo, N. (2016). On Democratic Backsliding. *Journal of Democracy*, 27(1), 5–19. <https://doi.org/10.1353/jod.2016.0012>
2. Blauburger, M., & Kelemen, R. D. (2017). Can courts rescue national democracy? Judicial safeguards against democratic backsliding in the EU. *Journal of European Public Policy*, 24(3), 321–336. <https://doi.org/10.1080/13501763.2016.1229357>
3. Freedom House. (2025). Freedom in the World 2025: India. <https://freedomhouse.org/country/india/freedom-world/2025>
4. Lust, E., & Waldner, D. (2015). Authoritarian Backsliding and the Concentration of Political Power. *Democratization*. <https://doi.org/10.1080/13510347.2015.1045884>
5. V-Dem Institute. (2025). Democracy Report 2025. University of Gothenburg. <https://www.v-dem.net/publications/democracy-reports/>
6. International IDEA. Global State of Democracy Reports. <https://www.idea.int/gsod/>
7. भारत का संविधान. भारत सरकार, विधायी विभाग।
8. भारत निर्वाचन आयोग. आधिकारिक वेबसाइट एवं चुनाव-संबंधी दस्तावेज